भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5494

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना (एबीवाई) के तहत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

5494. श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्रीमती भारती पारधी:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व बैंक से दिसंबर, 2019 में वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद विश्व बैंक की सहायता से अटल भूजल योजना (एबीवाई) को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इसके कार्यान्वयन के बाद से प्राप्त विश्व बैंक सहायता परियोजनावार और राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी है;

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां भूजल स्तर में गिरावट के कारण कई ब्लॉकों को डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(घ) इन ब्लॉकों में जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण प्राप्त है और 3,000 करोड़ रुपये की समान राशि भारत सरकार द्वारा योगदान के रूप में प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8,203 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) में की जा रही है। इसका उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में भागीदारी भूजल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाकर भूजल स्तर में आ रही गिरावट को रोकना है।

अटल भूजल योजना के तहत विश्व बैंक से 2,658.16 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत सहभागी राज्यों को 3,861.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें भारत सरकार के साथ-साथ विश्व बैंक का हिस्सा भी शामिल है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को क्रमश 643.82 करोड़ रुपए, 211.75 करोड़ रुपए और 264.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है।

(ग): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति वर्ष सक्रिय भूमि जल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2024 के नवीनतम आकलन के अनुसार, देश में 706 ज़िलों का आकलन किया गया है, जिनमें से 102 ज़िलों को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ भूजल निष्कर्षण (एसओई) का स्तर 100% से अधिक है। इनमें से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में अतिदोहित श्रेणी के अंतर्गत क्रमश छह और पांच जिले हैं जबकि महाराष्ट्र में कोई भी जिला अतिदोहित श्रेणी में नहीं है। इन जिलों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

(घ): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित विषयों के समाधान का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश के भूजल संसाधनों में सुधार के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर एक समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में देश में जेएसए 2025 शुरू किया गया है, जिसमें अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर ज़िलों (ओसीएस जिलों) पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में अब तक क्रमशः कुल 1.58 लाख, 8.45 लाख और 15.7 लाख जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत्त विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में मैपिंग कर लिया

गया है और प्रबंधन योजनाओं को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासनों के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल का संरक्षण करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जल भंडारण बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमश 3055, 5839 और 16630 सरोवर हैं।

इन सभी सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के मध्य देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 436.15 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 446.90 बीसीएम हो गया है, जबकि सभी उद्देश्यों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 244.92 बीसीएम से 245.64 बीसीएम के मध्य स्थिर रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 से 2024 के मध्य 'सुरक्षित' आकलन इकाइयों का प्रतिशत 63.6% से बढ़कर 73.4% हो गया है, जबकि 'अतिदोहित' आकलन इकाइयों का प्रतिशत 16% से घटकर 11.13% हो गया है।

*****

अनुलग्नक

"अटल भूजल योजना के तहत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5494 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अति-दोहित जिले।

(भूजल संसाधन आकलन-2024 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	मध्य प्रदेश	इंदौर
2	मध्य प्रदेश	मन्दसौर
3	मध्य प्रदेश	नीमच
4	मध्य प्रदेश	रतलाम
5	मध्य प्रदेश	शाजापुर
6	मध्य प्रदेश	उज्जैन
7	उत्तर प्रदेश	आगरा
8	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद
9	उत्तर प्रदेश	जी.बी.नगर
10	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
11	उत्तर प्रदेश	शामली

*****